Saathi

Date 20/05/2020 | Page- 1 of 5 |

B.A., PART- Ist
POLITICAL SCIENCE
PAPER- I (BASIC PRINCIPLES OF POLITICAL THEORY)
CH-11 (JUSTICE)
LECTURE NO.- 33 (THIRTY THREE)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
L.N.M.U, DARBHANGA

न्याय
JUSTICE

'न्याय' अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Justice' का हिन्दी रूपान्तरण है। 'Justice' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Justia' से हुई है जिसका अर्थ है- जोड़ना या सम्मिलित करना। बार्कर के अनुसार इसका आशय मानव-सम्बंधों की संगठित व्यवस्था में मनुष्य और मनुष्य के मध्य डोर से है। उसके अनुसार संगठित मानव सम्बंधों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य जाते हैं। न्याय स्वयं में एक मूल्य है जो उपर्युक्त तीनों मूल्यों का संश्लेषण है।

'न्याय' एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तो कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता रहा है।

आधुनिक काल में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति के आचरण का नियमन कर समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से मनुष्य स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ पूरा करने लिए आचरण करता है, परन्तु उसका यह आचरण ऐसा होना चाहिए कि समाज का भी कल्याण हो, तो इसे न्यायपूर्ण कहा जाएगा। अर्थात न्याय समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। न्याय के दो प्रमुख आधार है- स्वतंत्रता और समानता और इसी को स्थापित कर समाज का व्यापक कल्याण किया जा सकता है।

Date __/__/____

Saathi

राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा
Concept of Justice in Political thought

पाश्चात्य और पूर्वात्य, दोनों ही राजनीतिक दर्शन में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वस्तुस्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक, वरन् नैतिक चिन्तन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है।

न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की विवेचना से राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है—

(1) प्लेटो के विचार की विवेचना—

प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ "Republic" में न्याय की विस्तृत व्याख्या की है। 'रिपब्लिक' में न्याय सम्बंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि 'रिपब्लिक' का उपशीर्षक 'न्याय से संबंधित' (Concerning Justice) रखा गया है। इबेन्स्टीन (Ebenstein) का कथन है कि "प्लेटो के न्याय सम्बंधी विवेचन में उनके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है।"

प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग धर्म (लौकिक धर्म के पर्यायवाची एवं नैतिक अर्थ में किया है, वैधानिक अर्थ में नहीं। प्लेटो का कथन है कि, "न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है।" इनके अनुसार, न्याय दो तरह के होते हैं— व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। इनका मानना है कि समाज अथवा राज्य समाज की अतिआवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

सिद्धांत के सम्बंध में बार्कर के विचार हैं, "न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन, जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है।"

इस प्रकार प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक कानूनी सिद्धांत के रूप में नहीं, वरन् एक नैतिक सिद्धांत के रूप में ही किया है।

(2) न्याय के संबंध में अरस्तु के विचार —

न्याय के सम्बंध में अरस्तु का विचार प्लेटो के विचार से भिन्न है, हालाँकि ये भी न्याय को राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ~~अरस्तु~~ अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं — (i) वितरणात्मक राजनीतिक न्याय
(Distributive Political Justice)

(ii) सुधारक न्याय
(Corrective or Rectificatory Justice)

(i) वितरणात्मक न्याय सिद्धांत —

इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गयी सेवा के आधार पर हो।

(ii) सुधारक न्याय सिद्धांत —

सुधारक न्याय का आशय यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ सम्बंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाय।

(3) मनु के विचार —

समाज में मनुष्यों के द्वारा निष्पक्षता एवं सत्यता के मार्ग पर चलना ही न्याय है। मनु के अनुसार

Page No.

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

"जिस सभा (न्यायालय) में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सहस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं।" उन्होंने प्राचीन युग में ही विवादों की दो श्रेणियाँ बतला दी थी, जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है।

(4) कौटिल्य का विचार—

ये समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझते थे और उनका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करना है। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है — (i) धर्मस्थीय एवं (ii) कण्टक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के लगभग समान माना जा सकता है।

(5) न्याय के सम्बंध में ऑगस्टाइन के विचार—

ऑगस्टाइन के द्वारा परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के सन्दर्भ में न्याय की विवेचना की गयी है। ये न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानते हैं। उनका कथन है कि "जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे जा सकते हैं।" ऑगस्टाइन के अनुसार, "न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी कि व्यवस्था माँग करती है।"

अंतिम रूप से इनके अनुसार न्याय से आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य-पालन से है।

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/_____

(6) थॉमस एक्वीनास का विचार —

"न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है" इन्होंने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन युग में जहाँ न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की गयी है वहीं मध्य युग के अन्त और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गयी है।

सम्भावित प्रश्न :

न्याय से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा की विवेचना कीजिए।

x——— x ——— x ——— x ——— x ——— x

Scanned with CamScanner